कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

पत्रॉक 1712/14–10–1 दिनॉक, इटावा, जनवरी, 28 2016

सेवामें,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
इटावा।

विषयः जनपद इटावा में ताखा तहसील के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताखा के निर्माण हेतु ताखा सिहुँआ वनब्लाक की 0.96 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातनके गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्रॉक पी–66/14–2–2015–800(112)/2015 दिनॉक 23.10.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रॉक 1204/14–10–1 दि0 02.11.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रॉक 1442/14–10–1 दि0 11.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अनुरोध करना है कि विशेष सचिव (वन),वन अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रॉक पी–66/14–2–2015–800 (112)/2015 दिनॉक 23.10.2015 से उक्त प्रकरण में कतिपय शर्तो के अनुपालन सुनिश्चित होने पर सैद्वान्तिक स्वीकृति दी गई है, जिसका अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है। कृपया उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या, अभिलेख एवं प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में (स्पाइरल बाइन्डिंग) में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, शर्तो का विवरण निम्न प्रकार हैः–

शर्त सं0–1:– जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ सी0 दि0 05.09.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य (**NPV**), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण तथा प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (**Compensatory Afforestation Fund Management and planing Authority**) में वनविभाग के माध्यम से जमा कराने के सम्बन्ध में है। कृपया उक्त प्रकरण में प्रभावित 0.96 हे0 आरक्षित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य (**NPV**), हेतु रूपये 626000/–प्रति हे0 की दर से 6.01 लाख की धनराशि **E- Portal** के माध्यम से जमा कर, बैंक में जमा की गई धनराशि **E- Payment** जमा की मूल रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

शर्त सं0–2:– जो कि प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा, के सम्बन्ध में है, कृपया उक्त प्रकरण में **100 वृक्षों के बिकगार्ड में वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव** हेतु रूपये 8685/– प्रति बिकगार्ड की दर से रूपये 8.69 लाख की धनराशि **E- Portal** के माध्यम से जमा कर बैंक में जमा की गई धनराशि **E- Payment** जमा की मूल रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। कुल रूपये 14.70 लाख की धनराशि **E- Payment** के माध्यम से जमा कर **E- Payment** जमा की मूल रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं प्रमाण–पत्र व अभिलेख आदि 03 प्रतियों में (स्पाइरल बाइन्डिंग) कराकर उपलब्ध करायें।

भवदीय,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

पत्रॉक / समदिनॉकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उक्त विषयक सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ0प्र.0 लखनऊ।
(3) मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) क्षेत्रीय वन अधिकारी, भरथना।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,इटावा।

E:\Jagat\Draftmen\Letter 2010-11.doc